

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,शामली,  
जनपद-शामली ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नया सेवरा नगर विकास योजना (वर्तमान में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से व्यपगत हुई धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 765, दिनांक-01-02- , जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली को नया सेवरा नगर विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-04/2017/आरएफ09/नौ-9-2017-141आर एफ/16, दिनांक- 03-01-2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि कतिपय कारणों से कोषागार से आहरित न होने के कारण व्यपगत हो गयी ,को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत प्रायोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि के व्यपगत हो जाने के कारण उक्त निकाय की मांग पर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट से निम्न तालिका के कालम --05 में अंकित धनराशि रू0 20.00/- (रूपये बीस लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क	निकाय एवं जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	न0पा0प0 शामली, शामली,	शासनादेश सं0-04/2017/ आर एफ--09 /नौ-9 -17-141 आरएफ/16,दि0-03-01-2017	40.00	20.00

- 3- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित शासनादेश की नूतन प्रतियाँ लागू रहेंगी।
- 4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मल-जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-0402नगर पालिका परिषद-30-निवेश / ऋण के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक-03-08-2017 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,  


(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या- ५० आरएफ/ 107 (1)/ नौ-9-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 3- कोषाधिकारी, शामली।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका परिषद।
- 8- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-8
- 9- गार्ड फाइल।
- 10- वेब मास्टर कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,  


(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2017-2018  
आवंटन दिनांक-24/03/2018

प्रेषण संख्या:- 40  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-40-RF107-9-9-18-59RF-14  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना )(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
04 -  
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	शामली-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 19520000	2000000 19520000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2000000 19520000	2000000 19520000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार

  
(राधे कृष्ण)  
संयुक्त सचिव